2.4.1

Government of Rajasthan

Budget Head wise Post in Offices

Budget Head Code / Name 2202-03-103-03-00
BFC Unit Name कालेज शिक्षा विभाग, जयपुर(7)
Post Type Regular
Office Name and Code Sh.Rajendra Suri Kundan JainGovt.Girls College, Jalour-306

Designation Name	Grade Pay	State Fund
प्रयोगशाला परिचारक-1003	1700(L-1)	2
प्रयोगशाला सहायक-1000	2800(L-8)	2
व्याख्याता-1032	UGC-1	4
	Total	8

Budget Head Code / Name 2202-03-103-14-01
BFC Unit Name कालेज शिक्षा विभाग, जयपुर(7)
Post Type Regular
Office Name and Code Sh.Rajendra Suri Kundan JainGovt.Girls College, Jalour-306

Designation Name	Grade Pay	State Fund
कनिष्ठ सहायक -3306	2400(L-5)	2
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी-426	1700(L-1)	3
पुस्तकालय अध्यक्ष-1040	UGC-1	1
प्राचार्य-1335	UGC-5	1
वरिष्ठ सहायक -3305	2800(L-8)	1
व्याख्याता-1032	UGC-1	8

2.4.1

Government of Rajasthan

Budget Head wise Post in Offices

Designation Name	Grade Pay	State Fund
शारीरिक व्यायाम शिक्षक-1287	UGC-1	1
सहायक लेखाधिकारी ग्रेड -I-3115	4800(L-12)	1
	Total	18

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक प.14(1)शिवा/4/97 2.4.1 जनांक:- 9.12.1999

निदेशक,
कालेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर ।

विषय:- वार्षिक योजना 1999-2000 में खोले गये 14 नवीन महाविद्यालयों की विषय, पदों एवं वित्तीय व्यय की कार्योत्तर ( ) स्वीकृति ।

संदर्भ:- इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 3.7.99 तथा आपका पत्र क्रमांक एफ 20(10)लेखा/निकाशि/आ.योजना/99/974 दिनांक 13.7.99 एवं स्मरणीय पत्र क्रमांक 200 दिनांक 26.7.99.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के सम्बन्ध में लेख है कि वार्षिक योजना 1999-2000 में खोले गये 14 नवीन महाविद्यालयों (संलग्न परिशिष्ट । से 15 के अनुसार) महाविद्यालयवार विषयों, पदों के सृजन एवं वित्तीय व्यय सीमा की कार्योत्तर ( ) वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ जारी की जाती है :-

(1) आगामी 6 वित्तीय वर्षों में इन 14 नवीन महाविद्यालयों में कोई भी नवीन विषय प्रारम्भ नहीं किये जायेंगे । निदेशक कालेज शिक्षा का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे इस शर्त का कठोरता से पालन करें । इस शर्त का उल्लंघन करने पर वित्त विभाग इसे गम्भीरता से लेगा तथा सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

(2) इन 14 नवीन महाविद्यालयों में नवीन पदों का विवेकीकरण करने के बाद इन महाविद्यालयों में 257 पदों के अतिरिक्त आगामी तीन वर्षों में कोई भी नया पद सृजित नहीं किया जायेगा । इन महाविद्यालयों में नव सृजित 257 पद डेपूटेशन/सेवानिवृत योग्य व्यक्तियों/पार्ट टाईम कर्मचारियों से भरे जायेंगे । उक्त महाविद्यालयों में सीधी भर्ती से कोई पद नहीं भरा जायेगा ।

(3) माननीय वित्त मंत्री महोदय के बजट भाषण के अनुसार उक्त महाविद्यालयों के भवन सामुदायिक आधार पर निर्मित कर शीघ्र उपलब्ध कराये जायेंगे ।

(4) वार्षिक योजना 1999-2000 में रु. 391.46 लाख रुपये के स्थान पर उक्त महाविद्यालयों का कुल व्यय राशि 265.05 लाख रुपये की वित्तीय सीमा निर्धारित की जाती है जो बजट मद 2202- सामान्य शिक्षा, 03- विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा, 103- सरकारी कालेज एवं संस्थान, 002- राजकीय महाविद्यालय (पुरुषों के लिए), 003- राजकीय महाविद्यालय (स्त्रियों के लिए) में व्यय किया जायेगा ।

.....2

(5) वित्त विभाग की पूर्वानुमति के बिना भविष्य में भी [illegible] कोई प्रत्यक्ष भर्ती नहीं की जायेगी ।

यह स्वीकृति आयोजना विभाग के आई.डी. संख्या 188 दिनांक 23.7.99 एवं वित्त (व्यय-1) के आई.डी. संख्या 3623 दिनांक 9.11.99 एवं 3794 दिनांक 8.12.99 की सहमति से जारी की जाती है ।

आज्ञा से

(डा. प्रो. एन. श्रीवास्तव)

विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा ।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा ।
3. निजी सहायक, विशिष्ट शासन सचिव, शिक्षा ।
4. उप सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग ।
5. उप सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग ।
6. उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग ।
7. लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा ।
8. प्राचार्य, सम्बन्धित महाविद्यालय ~~[illegible]~~
9. कुलसचिव, राजस्थान, अजमेर, उदयपुर एवं जोधपुर विश्वविद्यालय ।
10. जिला कलेक्टर --
11. रक्षित पत्रावली ।

विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा ।

[illegible] 2000 [illegible] कालेज शिक्षा)

पद नाम	राम गंज मण्डी	कलौदी	शिवगंज	तारा नगर	सेतड़ी	लाल सोट	माण्डल गढ़	नवीन महाविद्यालय सामेट	जालौर महिला	झुन्झुनू महिला	नीम का थाना महिला	चौमू महिला	अजमेर विभाजन	भरतपुर विभाजन
ाचार्य	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
याख्याता	8	13	8	8	16	8	8	8	8	8	8	8	2	2
स्तकालयाध्यक्ष	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ी.टी.आई.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
० लेखाकार	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
योगशाला ाधक	–	3	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
निष्ठ लिपिक	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
क लिफ्टर	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
र्थ श्रेणी चारी	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
कुलयोग	18	26	18	18	29	18	18	18	18	18	18	18	11	11

2.4.1

2.4.1

[illegible]

राजकीय महिला महाविद्यालय जालौर

सृजित नवीन पदों, विषयों एवं आवर्तक/अनावर्तक व्ययों का विवरण

क्र.सं.	प्रस्तावित पद	पद संख्या	वेतन श्रृंखला	राशि (लाखों में)
1.	प्राचार्य	1	12000-18300	1.60
2.	व्याख्याता	8	8000-13500	7.20
3.	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	8000-13500	0.25
4.	पी.टी.आई.	1	8000-13500	0.25
5.	कनिष्ठ लेखाकार	1	5000- 8000	0.55
6.	कनिष्ठ लिपिक	2	3050 - 4590	0.20
7.	बुक लिफ्टर	1	2610-3540	0.10
8.	च0 श्रे0 कर्मचारी	3	2550-3200	0.30
			योग	10.45
9.	यात्रा व्यय			0.10
10.	चिकित्सा व्यय			0.10
11.	कार्यालय व्यय - आवर्तक			0.25
	अनावर्तक:		फर्नीचर कार्यालय	1.50
			फर्नीचर प्राचार्य कक्ष	0.50
			फर्नीचर व्याख्याता कक्ष	1.00
			विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर	2.00
			दूरभाष कार्यालय	0.15
			टाइपराइटर-2, डुप्लीकेटिंग मशीन-1, एवं तिजोरी-1	0.50
12.	पुस्तकालय व्यय-आवर्तक			0.25
	अनावर्तक:		पुस्तकें	1.50
			सामयिक पत्रिकाएं एवं जरनल्स	0.10
			उपकरण एवं फर्नीचर	1.00
13.	खेलकूद			0.25
			योग	9.20
			महायोग	19.65

विषय

अनिवार्य विषय
1. सामान्य हिन्दी
2. सामान्य अंग्रेजी

एच्छिक विषय

कला संकाय:-
1. हिन्दी साहित्य
2. राजनीति शास्त्र
3. इतिहास
4. समाजशास्त्र

वाणिज्य संकाय
1. ए.बी.एस.टी.
2. व्यावसायिक प्रशासन
3. आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्ध

2.4.1

श्री राजेन्द्र सूरि कुन्तन जैन
राज. महिला महाविद्यालय, अलवर
क्रमांक 139
दिनांक 10.7.2012

कार्य पद. स्वीकृति
पत्रावली
10.7.2012

(3)

राजस्थान – सरकार
शिक्षा – विभाग
निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ20(101/04)आयो/निकाशि/2012/ 315 - 320 दिनांक 26 जून, 2012

आदेश

माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2012-13 के पैरा संख्या 142 की अनुपालना में निम्नलिखित स्नातक महाविद्यालयों एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर नये विषय/स्वीकृत पदों की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

स्नातक स्तर पर

क्र.सं.	स्नातक महाविद्यालय	विषय	व्याख्याता	प्र.शा. सहा.	प्र.शा. वाहक
1	राजकीय महा. बाड़मेर	भूगोल	01	01	01
2	राजकीय महा. सीकर	भूगोल	01	01	01
3	राजकीय महा. किशनगढ़	उर्दू	01	–	–
4	राजकीय महा., शाहपुरा (भील)	लोक प्रशासन	01	–	–
5	राजकीय कन्या महा., बारावाडा	भूगोल	01	01	01
6	राजकीय महा. मालपुरा	अंग्रेजी साहित्य	01	–	
7	राजकीय महा. सागवाडा	भूगोल	01	01	01
8	राजकीय कन्या महा., बून्दी	गृह विज्ञान	01	01	01
9	राजकीय कन्या महा., चौमू	भूगोल	01	01	01
10	राजकीय कन्या महा., जालौर	गृह विज्ञान	01	01	01

स्नातकोत्तरक स्तर पर

क्र.सं.	स्नातक महाविद्यालय	विषय	व्याख्याता	प्र.शा. सहा.	प्र.शा. वाहक
1	राजकीय महा. बांसवाडा	भूगोल	02	01	01
2	राजकीय महा. चूरू	अंग्रेजी साहित्य	02	–	
3	राजकीय महा. खैरवाडा	समाज शास्त्र	02	–	
4	राजकीय कन्या महा., बीकानेर	गृह विज्ञान	02	01	01
5	राजकीय कन्या महा., कोटा	लोक प्रशासन	02	–	

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-I) विभाग की I.D. संख्या 101202207 दिनांक 21.06.2012 की सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

(सुवीर कुमार)
निदेशक

क्रमांक:एफ20(101/04)आयो/निकाशि/2012/ 315 - 320 दिनांक 26 जून, 2012

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्यलेखाधिकारी, निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. कुल सचिव, सम्बन्धित विश्वविद्यालय।
4. सम्बन्धित प्राचार्य को प्रेषित कर लेख है कि आवश्यक कक्षा कक्षा एवं प्रयोगशाला कक्षा का तकमीना P.W.D. से तैयार करवा कर भिजवाने का श्रम करें, ताकि उक्त निर्माण कार्य हेतु बजट प्रावधान स्वीकृत करवाया जा सके।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. डॉ. धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता, निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

Scanned with CamScanner

2.4.1

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग

I.D. No. 953/PS/EGE/
Dated 9.6.15

क्रमांक प.1(23)शिक्षा/ग्रुप–3/2013

जयपुर, दिनांक: 3 जून, 2015

–: आदेश :–

बजट घोषणा वर्ष 2015–16 के अनुसरण में राजकीय कन्या महाविद्यालय, जालौर में भूगोल संकाय खोले जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त करते हुए उक्त विषय खोले जाने हेतु लेखा मद 2202–03–103–(03) के उप मद 31 के अन्तर्गत पुस्तकालय हेतु राशि 1.00 लाख रुपये एवं उप मद 57–विभागों पर विशिष्ट सेवाओं पर व्यय हेतु राशि 0.50 लाख रुपये के व्यय की सहमति चालू वित्त वर्ष के लिये प्रावेधित प्रावधान से किये जाने तथा उप मद 33–प्रयोगशाला उपकरण हेतु राशि 10.00 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिये स्वीकृत करते हुए भूगोल संकाय प्रारम्भ किये जाने हेतु निम्नांकित पदों का सृजन एतद्द्वारा किया जाता है:–

पदनाम	पदों की संख्या	ग्रेड पे
व्याख्याता	01	: 6000 (UGC वेतनमान)
प्रयोगशाला सहायक	01	: 2800
प्रयोगशाला वाहक	01	: 1700

उपरोक्त पदों का सृजन, मांग संख्या 24, बजट मद–2202–सामान्य शिक्षा, 03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 103–राजकीय महाविद्यालय तथा संस्थान, (03)–राजकीय महाविद्यालय (स्त्रियों के लिये), आयोजना के अन्तर्गत किया जाता है।

उपरोक्त सृजित पदों के प्रति वर्ष 2015–16 में होने वाला व्यय उक्त लेखा मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–1) विभाग की आई.डी. संख्या 101501552 दिनांक 04.05.2015 तथा आयोजना विभाग की आई.डी. संख्या 80/PL/MP/2015 दिनांक 15.05.2015 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में प्रचलित की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कन्हैया लाल अग्रवाल)
शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, उच्च शिक्षा मंत्री।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा।
4. आयुक्त,कॉलेज शिक्षा,राजस्थान, जयपुर को मय उनकी पत्रावली संख्या एफ 4 (45) आयो/आकाशि/2015 नोटशीट सहित लौटाकर निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग एवं आयोजना विभाग की उपरोक्त उल्लेखित आई.डी.संख्या अनुसार प्रदत्त निर्देश अनुरूप संशोधित अनुमान वर्ष 2015–16 में उपरोक्त स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित करना सुनिश्चित करावें।
5. संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय–1) विभाग/वित्त (बजट) विभाग।
6. संयुक्त सचिव, आयोजना (जन शक्ति) विभाग।
7. प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, जालोर।
8. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जालोर।
9. रक्षित पत्रावली।

03-6-15

शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा

D:\Data\Word\Jy-2014-15\Word JI\Order\Word\2015\

Scanned with CamScanner

2.4.1

Academic

24/8/13

श्री राजेन्द्र सूरि कुन्दन जैन
राज. महिला महाविद्यालय जालोर
आवक/जावक क्र. 179
दिनांक 24-8-2013

राजस्थान सरकार
निदेशालय कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर
क्रमांकःएफ 4(415)आयो/निकाशि/कमोन्नत/2013–14/58 दिनांक :23–8–2013

आदेश

निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक एफ20(101)02/प्लान/डीसीई–2013–14/ दिनांक 26–7–2013 के द्वारा निम्नलिखित स्नातक स्तर के महाविद्यालयों को कमोन्नत कर स्नातकोत्तर किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी, इसी कम में उनके सामने अंकित विषयों में उन्हें स्नातकोत्तर विषय शैक्षणिक सत्र 2013–14 से प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क0सं0	नाम महाविद्यालय	कमोन्नत किये गये विषय
1	राजकीय महाविद्यालय, डीग (भरतपुर)	भूगोल
2	राजकीय कन्या महाविद्यालय, डूंगरपुर	समाजशास्त्र
3	राजकीय कन्या महाविद्यालय, चौमूं (जयपुर)	इतिहास
4	राजकीय कन्या महाविद्यालय, जालौर	हिन्दी
5	राजकीय कन्या महाविद्यालय, नाथद्वारा (राजसमन्द)	हिन्दी
6	राजकीय महाविद्यालय, हिण्डौन (करौली)	हिन्दी
7	राजकीय महाविद्यालय, नौखा (बीकानेर)	हिन्दी
8	राजकीय महाविद्यालय, सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)	इतिहास
9	राजकीय महाविद्यालय, बहरोड़ (अलवर)	राजनीति विज्ञान
10	राजकीय महाविद्यालय, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)	हिन्दी
11	राजकीय महाविद्यालय, सरदारशहर (चुरू)	हिन्दी
12	राजकीय महाविद्यालय, बांदीकुई (दौसा)	राजनीति विज्ञान
13	राजकीय महाविद्यालय, फलोदी (जोधपुर)	राजनीति विज्ञान
14	राजकीय महाविद्यालय, नोहर (हनुमानगढ़)	हिन्दी
15	राजकीय महाविद्यालय, भीनमाल (जालौर)	हिन्दी
16	राजकीय महाविद्यालय, रामगढ़ (सीकर)	एबीएसटी
17	राजकीय महाविद्यालय, देवली (टोंक)	इतिहास
18	राजकीय महाविद्यालय, नसीराबाद (अजमेर)	इतिहास
19	राजकीय महाविद्यालय, थानागाजी (अलवर)	भूगोल
20	राजकीय महाविद्यालय, भोपालगढ़ (जोधपुर)	इतिहास

(नवीन जैन)
निदेशक

Scanned with CamScanner